राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ गांधी नगर, जयपुर।

क्रमांकः No. F25(50)ICDS/Computer/Rajposhan/2015/ 118089-392 दिनांकः 29-6-18

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त ।

विषयः– राजपोषण सॉफ्टवेयर पर मानदेय बिल बनाने एवं डाटा अपडेशन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अपग्रेडेड राजपोषण सॉफ्टवेयर (New Verson) माह जुलाई–2018 के द्वितीय सप्ताह से लागू किया जा रहा है। अतः आप सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों से अनुरोध है कि अब तक बकाया मानदेय बिल बनाकर कोषालय से पारित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशालय द्वारा दिनांक 09.05.2018 को राजपोषण का Backup लेने के पश्चात अति–आवश्यक अपडेशन्स को ही, करने हेतु अनुरोध किया गया था। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि परियोजना स्तर से किये जाने वाले मास्टर डाटा में यदि कोई संशोधन (जैसेः– मानदेय कर्मि का नाम जोडना, मानदेय स्लेब बदलना, प्रशिक्षण वर्ष अंकित करना ईत्यादि) बकाया हो तो दिनांक 06.07.2018 तक आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करे।

निदेशालय स्तर से करवाये जाने वाले अपडेशन्स, मानदेय कर्मियों के नाम डिलिट करवाना/बैंक डिटेल अपडेट करवाना ईत्यादि हेतु निदेशालय में दिनांक 05.07.2018 तक पत्र ई–मेल करावें । जिन कार्यालयों ने पूर्व में अपडेशन हेतु निदेशालय में पत्र प्रेषित किये है उन्हें अपडेट कर दिये है, कृपया जॉच करावें तथा अपडेशन होने से रह गये हो उन्हें पुनः निदेशालय में प्रेषित करे।

उक्त के संबंध में किसी प्रकार का तकनीकी सहयोग कम्प्यूटर प्रशाखा दूरभाष नम्बर 0141–2713622 पर लिया जा सकता है।

29/6/18

एनालिस्ट कम प्राग्रामर (उप निदेशक)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।